कार्यालय राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ
द्वितीय तल, शास्त्री भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ

प्रेषक,   संख्या–881 / रा0आ0का0 / 2019–20

संजय गोयल,
राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उ0प्र0 शासन।

राहत आयुक्त कार्यालय   दिनांकः 19 मार्च, 2020

विषयः– राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा कोरोना वायरस के बचाव व प्रबंधन के संबंध में की गयी कार्यवाहियों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र संख्या–340 / पीएस / सीएम / 2020, दिनांक 19.03.20 के क्रम में राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा कोरोना वायरस के बचाव व प्रबंधन के संबंध में की गयी कार्यवाहियों के संबंध में टिप्पणी निम्नवत् हैः–

कोरोना वायरस के प्रबंधन के संबंध में राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा की गयी कार्यवाहियां

1. **राज्य स्तरीय समस्त स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक व जनपद स्तरीय स्टेकहोल्डर्स का प्रशिक्षण–** दिनांक 05.03.2020 को कोरोना वायरस के प्रबंधन हेतु जागरूकता, पूर्व तैयारी व अर्न्तविभागीय समन्वय के लिए राज्य स्तरीय समस्त स्टेकहोल्डर्स यथा–रेलवे, आर्मी, एयरफोर्स, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, आई0एम0ए0, नर्सिंग होम एशोसिएशन, ई0एस0आई0सी0 आदि के अधिकारियों के साथ एक बैठक आहूत की गयी (पताका–क)। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग, यूनीसेफ तथा डब्ल्यू0एच0ओ0 के सहयोग से सभी जनपदों में उपस्थित स्टेक होल्डर्स को वीडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया (पताका–ख)।
2. **कोरोना वायरस के संबंध में प्रशिक्षण–** प्रत्येक जनपद जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विभागों के 50 अधिकारियों / कार्मिकों को कोरोना वायरस के बचाव व प्रबंधन हेतु प्रशिक्षित किया जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। प्रशिक्षण हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से सभी जनपदों को रू0 10–10 हजार की धनराशि स्वीकृत कर दी गयी है। (पताका–ग)
3. **कोरोना वायरस के संबंध में जागरूकता–** महानिदेशक स्वास्थ्य द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में समस्त जनपदों में वितरण हेतु 625400 पोस्टर्स तथा 1247500 पैम्फलेट / फ्लायर का मुद्रण सूचना विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। (पताका–घ)

Phone No- 0522-2237515/2235092/2235083, Fax No- 2238084, Email: rahat@nic.in

Scanned by CamScanner

कार्यालय राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ
द्वितीय तल, शास्त्री भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ

4. **रिसोर्स इनवेन्ट्री–** जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरणों के माध्यम से मेडीकल प्रैक्टिशनर्स, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेन्स, वेन्टीलेटर फैसेलिटी, क्वारन्टाइन/आइसोलेशन हेतु बिल्डिंग्स, पी0पी0ई0 किट आदि की इन्वेन्ट्री तैयार की जा रही है। (पताका–च)
5. **राज्य आपदा मोचक निधि से कोरोना वायरस के प्रबन्धन हेतु धनराशि के प्राविधान सम्बन्धी शासनादेश निर्गत–** भारत सरकार के पत्र संख्या–33–4/2020, दिनांक 14.03.2020 के क्रम में राज्य आपदा मोचक निधि से कोरोना वायरस के प्रबन्धन हेतु "Measures for quarantine, sample collection and screening" तथा "Procurement of essential equipments/labs for response to COVID-19" मदो में धनराशि का प्राविधान सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 14.03.2020 निर्गत कर दिया गया है (पताका–छ)।

भवदीय,

Sanjay

(संजय गोयल)
राहत आयुक्त, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner